भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4147

18 मार्च, 2026 के लिए प्रश्न

खाद्यान्न भंडारण क्षमता

4147. **श्रीमती सुप्रिया सुले:**

श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:

श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील:

डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे:

प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़:

श्री संजय दिना पाटील:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र में, विशेषकर सूखा-प्रवण, जनजातीय और बाढ़ प्रभावित जिलों में खाद्यान्न भंडारण क्षमता का कोई हालिया अंतराल विश्लेषण किया है;

(ख) महाराष्ट्र में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), राज्य एजेंसियों और सहकारी समितियों के पास उपलब्ध कवर्ड, कवर और प्लिंथ (सीएपी) और साइलो-आधारित भंडारण क्षमता का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त राज्य में खुले या अस्थायी भंडारण पर अत्यधिक निर्भरता के कारण गुणवत्ता में गिरावट, पारगमन हानि या खरीद कार्यों में देरी के मामले सामने आए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या महाराष्ट्र में खरीद की मात्रा और भंडारण बुनियादी ढांचे के बीच क्षेत्रीय असंतुलन विद्यमान है; और

(ड.) महाराष्ट्र में बर्बादी को कम करने और खाद्य सुरक्षा में सुधार के लिए वैज्ञानिक भांडागार, आधुनिक साइलो, ब्लॉक स्तर पर विकेंद्रीकृत भंडारण और सरकारी-निजी भागीदारी के विस्तार के लिए सरकार द्वारा प्रस्तावित समयबद्ध उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): सरकार ने भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) के माध्यम से महाराष्ट्र सहित पूरे देश में खाद्यान्न भंडारण क्षमता का आकलन किया है, ताकि खरीद और खपत के बदलते परिदृश्य को देखते हुए उपलब्ध भंडारण अवसंरचना और भंडारण आवश्यकताओं के बीच अंतर का पता लगाया जा सके।

...2/-

यह आकलन खरीद के रुझान, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत खपत, स्टॉक होल्डिंग मानदंड और क्षेत्रीय रसद आवश्यकताओं जैसे कारकों के आधार पर किया गया है। विश्लेषण में उच्च बिक्री और कमी वाले क्षेत्रों सहित जिला-स्तरीय मांग पैटर्न को भी ध्यान में रखा गया है।

(ख) और (ग): दिनांक 01.02.2026 की स्थिति के अनुसार, केंद्रीय पूल खाद्यान्न भंडार के भंडारण के लिए एफसीआई और राज्य एजेंसियों के पास देशभर में उपलब्ध कुल भंडारण क्षमता 945.84 लाख टन है। इसमें से 25.97 लाख टन भंडारण क्षमता महाराष्ट्र में उपलब्ध है, जिसमें नवी मुंबई स्थित 0.5 लाख टन साइलो भंडारण भी शामिल है।

वर्तमान में महाराष्ट्र में कोई सीएपी (खुली या अस्थायी) भंडारण क्षमता नहीं है। खाद्यान्न वैज्ञानिक भंडारण सुविधाओं, जैसे गोदामों और साइलो में रखे जाते हैं।

(घ) और (ङ): एफसीआई में भंडारण क्षमता की आवश्यकता मुख्य रूप से चावल और गेहूं के खरीद के स्तर, बफर मानदंडों की आवश्यकता और पीडीएस संचालन पर निर्भर करती है। एफसीआई निरंतर भंडारण क्षमता का आकलन और निगरानी करता है और भंडारण अंतर आकलन के आधार पर, निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से भंडारण क्षमताएं सृजित/किराए पर ली जाती हैं:-

पीपीपी पद्धति में पीईजी योजना 2008/09: पीईजी योजना के तहत, निजी निवेश को आकर्षित करते हुए 24 राज्यों में पारंपरिक गोदामों का निर्माण किया गया है। पीईजी योजना वर्ष 2008 में शुरू की गई थी। दिनांक 01.02.2026 की स्थिति के अनुसार गोदामों के लिए स्वीकृत कुल क्षमता 151.58 लाख टन है। इसमें से 148.61 लाख टन का निर्माण पूरा हो चुका है।

पीपीपी पद्धति में पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए संशोधित पीईजी योजना: पूर्वोत्तर/पहाड़ी राज्यों में नई क्षमताएं निर्मित करने के लिए, निवेशकों को आकर्षित करने हेतु पीईजी योजना में उपयुक्त संशोधन किए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत कुल 4.32 लाख टन क्षमता निर्मित होने का अनुमान है।

पीपीपी पद्धति में साइलो का निर्माण: भारत सरकार ने निजी क्षेत्र की भागीदारी से खाद्यान्न भंडारण में प्रचालन दक्षता में सुधार लाने और भंडारण सुविधाओं को उन्नत तथा आधुनिक बनाने के लिए, पीपीपी पद्धति के तहत देश भर में खाद्यान्न के थोक भंडारण के लिए स्टील साइलो के निर्माण को अनुमोदन दिया है।

तदनुसार, (दिनांक 01.02.2026 की स्थिति के अनुसार,) 57 स्थानों पर 32.25 लाख टन क्षमता वाले साइलो कार्यशील हैं।

परिसंपत्ति मुद्रीकरण: इस योजना के तहत, एफसीआई के स्वयं के मौजूदा डिपुओं में पीपीपी पद्धति के माध्यम से अतिरिक्त क्षमता निर्मित की जाती है। दिनांक 01.02.2026 की स्थिति के अनुसार कुल 58,950 टन क्षमता का अधिग्रहण किया जा चुका है।

...3/-

सीडब्ल्यूसी/एसडब्ल्यूसी/राज्य एजेंसियों/निजी पार्टियों से गोदाम किराए पर लेना: एफसीआई आवश्यकतानुसार सीडब्ल्यूसी, एसडब्ल्यूसी, राज्य एजेंसियों और निजी पार्टियों (पीडब्ल्यूएस योजना के तहत) से भंडारण क्षमता किराए पर लेता है।

इसके अलावा, एफसीआई द्वारा बीआईएस मानकों, सीपीडब्ल्यूडी विनिर्देशों और सीपीडब्ल्यूडी द्वारा जारी मैनुअल के अनुसार गोदामों का निर्माण किया जाता है ताकि एकरूपता, सुरक्षा और स्थापित अभियांत्रिकी प्रथाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

सरकार ने वैज्ञानिक भंडारण और आधुनिक साइलो के विस्तार हेतु निम्नालिखित पहलें भी की है:

स्मार्ट भांडागार परियोजना: सरकार प्रायोगिक आधार पर एफसीआई के स्वयं के 150 डिपुओं को स्मार्ट भांडागार में परिवर्तित करने की प्रक्रिया में है। इस परियोजना के तहत, पारंपरिक डिपो को स्मार्ट भांडागार में परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित है, जो विभिन्न सेंसर जैसे स्मोक सेंसर, फायर सेंसर और गेट ओपनिंग सेंसर आदि से सुसज्जित हैं। ये सेंसर CO2, फॉस्फीन स्तर, आग के खतरे, आर्द्रता, अनधिकृत प्रवेश और तापमान जैसे प्रमुख मापदंडों की वास्तविक समय में निगरानी करते हैं।

इस पहल का उद्देश्य सभी डिपुओं में वास्तविक समय में दृश्यता, समय पर हस्तक्षेप, डाटा-आधारित निर्णय लेना और मानकीकृत प्रचालन सुनिश्चित करना है ताकि सुरक्षित, सुदृढ़ और कुशल खाद्यान्न भंडारण और वितरण सुनिश्चित हो सके।

डिपो दर्पण पोर्टल: डिपो दर्पण पोर्टल, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) द्वारा शुरू किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य पीडीएस के अंतर्गत खाद्यान्न भंडारण डिपुओं और भांडागारों की निगरानी, पारदर्शिता और दक्षता को बढ़ाना है।

डिपो दर्पण की प्रमुख विशेषताएं और उद्देश्य:

क. डिपो/भांडागार प्रबंधक, डिपो के अवसंरचना, प्रचालन और वित्तीय प्रदर्शन से संबंधित जियो-टैग किए गए डाटा को अपलोड करते हैं

ख. पोर्टल एक समग्र स्कोरिंग प्रणाली का उपयोग करता है, जो डिपो का मूल्यांकन दो व्यापक श्रेणियों: अवसंरचना (सुरक्षा, भंडारण की स्थिति, प्रौद्योगिकी का उपयोग, अनुपालन) और प्रचालन मापदंड (स्टॉक टर्नओवर, नुकसान, स्थान का उपयोग, मानव संसाधन लागत आदि) पर करता है।

ग. स्कोर के आधार पर, प्रत्येक डिपो को एक स्टार रेटिंग दी जाती है, जिसका उद्देश्य डिपो के प्रदर्शन का त्वरित मूल्यांकन प्रदान करना है।

घ. डाटा का सत्यापन पर्यवेक्षी अधिकारी द्वारा 100% सत्यापन और कुछ औचक तृतीय-पक्ष लेखा परीक्षा जैसी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है ताकि विश्वसनीयता सुनिश्चित की जा सके।

...4/-

ङ. एफसीआई के स्वामित्व वाले और किराए पर लिए गए सभी गोदाम डिपो दर्पण पोर्टल के अंतर्गत आते हैं।

"अन्न चक्र" अंतर-राज्यीय मार्ग अनुकूलन टूल:-

भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) द्वारा मुख्यतः रेल मार्ग से किए जाने वाले अंतर-राज्यीय खाद्यान्न संचलन कार्यों को सुव्यवस्थित और बेहतर बनाने के लिए अंतरराज्यीय संचलन अनुकूलन का कार्य किया गया है। इन संचलन कार्यों की योजना उपभोक्ता राज्यों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ खरीदार या अधिशेष क्षेत्रों में भंडारण स्थान का प्रबंधन करने के लिए बनाई गई है। इन कार्यों की दैनिक योजना और क्रियान्वयन एफसीआई द्वारा इस उद्देश्य के लिए विकसित उपकरण का उपयोग करके किया जाता है।

सीसीटीवी और इंटरनेट आफ थिंग्स (आईओटी) प्रौद्योगिकियां:-

ये तकनीकें डिपो के प्रचालन में महत्वपूर्ण बदलाव लाती हैं, जिससे निम्नलिखित लाभ सुनिश्चित होते हैं:

i. वास्तविक समय में दृश्यता
ii. समय पर कार्रवाई
iii. डाटा-आधारित निर्णयन
